न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 3/2025
3. उनवान : बन्शीधर मीणा पुत्र श्री नाहरूराम मीणा जाति–मीणा, निवासी–ग्राम पचकोडिया पोस्ट मुण्डोती तहसील किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान

–प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत पचकोडिया जरिये सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत पचकोडिया तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर, राजस्थान।
2. किसान सेवा केन्द्र क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत पचकोडिया तहसील किशनगढ, रेनवाल जिला जयपुर।

–गैर निगरानीकार

4. निर्णय दिनांक : 05-08-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री महादेव जाट निगरानीकार की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत पचकोडिया के समक्ष झूठे तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत पचकोडिया द्वारा विधि विरूद्ध विपक्षी संख्या 2 को उक्त अपीलाधीन पट्टा जारी कर दिया, जिसकी आड में विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थी/निगरानीकार के कब्जेशुदा रहवास हेतु बने मकानात व बाडे को हटाकर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थी/निगरानीकार अपने पूर्वजो के समय से उक्त भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राप्त अनुदान राशि 17,500 रूपये से रहवास हेतु मकानात तथा पशुओं हेतु बाडे का निर्माण कर वर्ष 1997 से पूर्व से ही जीवन यापन करते आ रहे है। जिस पर राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा वर्ष 1997 से विद्युत कनेक्शन जारी किया हुआ है। निगरानीकार अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने से उनके पास रहवास हेतु अन्य कोई भूमि नहीं होने से तथा विपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा प्राप्त करने को आमादा होने से व्यथित होकर निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई। अन्त में निवेदन किया गया है कि पट्टा संख्या 3 संकल्प संख्या 6 आदेश दिनांक 12.07.2023 को व इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही का निरस्त फरमाये।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, ग्राम पंचायत का निगरानीधीन नोटिस, पट्टा सं0 8 की प्रति पेश की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैरनिगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकारान की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा सं0 3 निगरानीकार को बिना सूचना एवं सुनवाई के पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। ग्राम पंचायत ने मौके पर कब्जे के संबंध में कोई नहीं बनवाई, ना ही आम सभा में किसी प्रकार का पट्टे हेतु आवेदन लिया गया, ना ही आवेदन शुल्क व नक्शा शुल्क लिया गया है तथा सम्पूर्ण प्रकिया, मौका निरीक्षण आपत्ति नोटिस एवं प्रकाशन के बिना पट्टा जारी करना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. की विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सम्पूर्ण प्रकिया की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, जिससे उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज एवं न्याय उप समिति नियमों के अधीन खारिज योग्य है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 की धारा 162(2) में अंकन है कि किसी भी सदस्य को निःशुल्क पट्टा जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। गैर निगरानीकार सं0 2 ने अब तक ना कब्जा प्राप्त किया है और ना ही पट्टा जारी होने की दिनांक को कब्जा प्राप्त था। जारी विवादग्रस्त पट्टा मुख्य प्रस्तावित नावा सडक 300 फीट की सडक सीमा से भी प्रभावित है। विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त निगरानीकर्ता कि पूर्वजो के समय से चले आ रहे भूखण्डों की भूमि पर से उक्त विधि विरूद्ध पट्टे की आड में पिछले कई दिनो से विपक्षीगण कई बार कब्जा करने व पक्का निर्माण करने कि कोशिश की जिस पर निगरानीकार ने विरोध किया तथा विपक्षीगण द्वारा दिनांक 14.04.2025 को पुनः कब्जा करने को कोशिश की गई जिस पर उक्त अवैध पट्टा दिखाया गया। जिसकी नकल ग्राम पंचायत से निकलवाने हेतु आवेदन दिया गया जिनकी नकल आदि प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष उक्त निगरानी जानकारी के अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर पट्टा संख्या 3 दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीधीन पट्टा सं0 3 ग्राम पंचायत पचकोडिया द्वारा किसान सेवा केन्द्र के हक में जारी किया गया है। कृषि पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 05/01/2023 को किसान सेवा केन्द्र हेतु पट्टा चाहने बाबत आवेदन किया गया था। दिनांक 06/06/2023 को कौरम के समक्ष प्रस्ताव पेश किया गया तथा तीन वार्ड पंचो की कमेटी गठित की गई। दिनांक 21/06/2023 को आपत्ति नोटिस जारी किये गये तथा आपत्ति प्राप्त ना होने की स्थिति में दिनांक 12/07/2023 को सर्वसम्मति से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। अतः निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना में जारी होने से खारिज योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत निगरानी ग्राम पंचायत पचकोडिया द्वारा जारी पट्टा सं0 3 के विरूद्ध विचाराधीन है। उक्त पट्टा 'किसान सेवा केन्द्र' के पक्ष में जारी किया गया है। निगरानीकार का कथन है कि निगरानीधीन भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राप्त राशि से रहवास हेतु मकानात तथा पशुओं हेतु बाडे का निर्माण कर वर्ष 1997 के पूर्व से ही निवास कर रहे हैं, जिस पर राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त कर रखा है। उक्त कथन के समर्थन में निगरानीकार द्वारा विद्युत बिल की प्रति तथा उक्त पट्टे के संबंध में जनसुनवाई प्रकरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल के पत्रांक 721 दिनांक 20/05/2025 की प्रति पेश की है। उक्त पत्र किसान सेवा केन्द्र पचकोडिया की पट्टाशुदा भू-खण्ड से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से संबंधित है, जिसमें निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाने हेतु आवेदन दिनांक 16/10/2008, आवेदन शुल्क की रसदी सं0 22 दिनांक 16/10/2008

एवं रसीद सं० 36 दिनांक 05/01/2013 राशि 60 रूपये जमा कराने का अंकन किया गया है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति किशनगढ रेनवाल की उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है "उक्त परिवार लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से उक्त भूखण्ड/मकान पर काबिज हैं एवं मौके पर मकान का मुख्य द्वार मुख्य सडक की तरफ खोला हुआ है, जिसके सामने ग्राम पंचायत ने किसान सेवा केन्द्र हेतु पट्टा जारी किया गया है, जिससे बंशीधर पुत्र नारूराम मीणा का मुख्य रास्ता बन्द हो गया है" उक्त रिपोर्ट में सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड किशनगढ रेनवाल की रिपोर्ट दिनांक 01/04/2025 का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा किसान सेवा केन्द्र को जारी पट्टा सडक सीमा में प्रदर्शित होने का तथ्य अंकित किया गया है। पट्टे में वर्णित दिशाओं में दक्षिण की ओर नावा रोड दर्शित है। उक्त तथ्यों के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा किसान सेवा केन्द्र को जारी पट्टा सडक सीमा में होना सुस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त किसान सेवा केन्द्र को जारी पट्टे में वर्णित दिशाओं से स्पष्ट है कि भूखण्ड के उत्तर मे कालूराम का मकान दर्शित है। इस प्रकार यदि दोनों भूखण्डों के बीच रास्ता नहीं है तो उत्तर दिशा में वर्णित मकान को रास्ता उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन पट्टा जारी होने के कारण निगरानीकार के भवन का मुख्य द्वार बन्द होने से निगरानीकार के मूलभूत अधिकार एवं सुखाचार का हनन हो रहा है। अतः ग्राम पंचायत पचकोडिया द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा सं० 3 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत जारी होने के कारण खारिज योग्य है।

उपर्यक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पचकोडिया द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा सं0 03 दिनांक 12/07/2023 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & District Magistrate-II • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर